N-41011/51/2025-BC.III
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली – 110001
दिनांक: 16 मई, 2025

सेवा में,

श्री दीपांशु साहू,
बी 603, मुस्कान हाइट्स, नेपियर टाउन,
जबलपुर, मध्य प्रदेश
Email: Deepsahu991@gmail.com

विषय: निजी उपग्रह चैनलों द्वारा सामग्री प्रसारण के संबंध में प्राप्त याचिकाएं।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय के संबंध में आपकी याचिका क्रमांक PMOPG/E/2025/0065698 दिनांक 10.05.2025 का संदर्भ लेने और कहने का निदेश हुआ है कि प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क(विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करना आवश्यक है। (कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएं और केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 इस मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mib.gov.in>प्रसारण>प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए सामग्री विनियमन>संबंधित दस्तावेज़>अधिनियम/नियम/विनियम/अधिसूचनाए पर उपलब्ध हैं)।

2. केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 में टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री से संबंधित नागरिकों की शिकायतों/परिवादों का समाधान करने के लिए एक सांविधिक तीन स्तरीय तंत्र का प्रावधान है। इन नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी चैनल के कार्यक्रम की सामग्री के कार्यक्रम संहिता के अनुरूप नहीं होने के कारण व्यथित है, तो वह कार्यक्रम का नाम, चैनल/प्रसारक का नाम और कथित कार्यक्रम के प्रसारण की तारीख और समय जैसे विशिष्ट विवरण प्रदान कर प्रसारक को लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

3. याचिका की प्रकृति गैर विशिष्ट (क्योंकि याचिका में कार्यक्रम व विज्ञापन सहिंता के उल्लंघन का विशिष्ट उल्लेख जैसे चैनल का नाम व प्रोग्राम का नाम नहीं है) है।

4 . आपको यह भी सूचित किया जाता है की याचिका में संलग्न स्क्रीनशॉट विभिन्न मीडिया चैनलों के सोशल मीडिया अकाउंट है जो इस अनुभाग के दायरे में ना आकर डिजिटल मीडिया अनुभाग के दायरे में आता है। अतः इस याचिका को आवश्यक कार्रवाई के लिए डिजिटल मीडिया अनुभाग को भेजा जा रहा है।

5. यदि आपके पास प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित की जा रही सामग्री से संबंधित कोई विशिष्ट शिकायत है तो आप अपनी शिकायत सीधे प्रसारक को विशिष्ट जानकारी सहित केबल टेलेविज़न नेटवर्क (विनिमयन) अधिनियम 1995 व उसके अन्तगर्त नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सकते है। अतः आपकी याचिका को निस्तारित किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by
NAVNEET KUMAR
Date: 16-05-2025
11:17:16

(नवनीत कुमार)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष: 23383646
ईमेल: us-bc23@gov.in

प्रतिलिपिः डिजिटल मीडिया अनुभाग- याचिकाकर्ता को सीधे जानकारी उपलब्ध कराने के लिए याचिका की एक प्रति डिजिटल मीडिया अनुभाग को अग्रेषित की जा रही है।